

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(ड)()विधि/मनो./डीएलबी/16/ 2459

दिनांक: 3/1/17

अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6 (1) (क) (ii) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आगामी आदेश अथवा नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल की अवधि जो भी पहले हो, तक के लिए निम्न नगर निगम/परिषद/पालिकाओं में उनके नाम के सम्मुख अंकित व्यक्तियों को एतद्वारा सहवृत्त सदस्य मनोनीत करती है:-

क्र.सं.	नगर निकाय का नाम	व्यक्ति का नाम	रिक्त पदों की सं.	विशेष विवरण
1	सूरजगढ़	1. नरेश वर्मा, पूर्व चैयरमेन, सूरजगढ़ 2. राजेन्द्र सोकरिया पुत्र मागीरथमल 3. अनुज कानोडिया पुत्र शिव रतन 4. राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री महावीर शर्मा		
2	नोखा	1. रीना भार्गव पुत्री 2. देवकिशन चांडक 3. अशोक कुनार लुणावत 4. हरमा देवी पत्नी श्री चुन्नी लाल		
3	रामगंजमण्डी	1. श्री घनश्याम शर्मा 2. श्री मुल्कराज सुनेजा 3. श्री चन्द्र प्रकाश सोनी 4. श्री प्रहलाद धाकड		
4	हनुमानगढ़	1. राकेश त्यागी पुत्र दुष्यन्त त्यागी 2. द्वारका प्रसाद शर्मा पुत्र डूंगरराम शर्मा 3. हरी खदरिया पुत्र श्री रखीनारायण 4. राजीव कपूर पुत्र श्री आर के कपूर 5. रोहित छापोला पुत्र श्री पूर्णमल		
5	रावतसर	1. दारका प्रसाद पुत्र भंवरलाल सोनी 2. संजय मेघवाल पुत्र मदनलाल 3. हंसराज पुत्र मनीराम गुरिया 4. विक्रम गोयल पुत्र तारावंद		
6	पीलीबंगा	1. कुलदीप सिंह पुत्र श्री जयसिंह		
7	सगरिया	1. श्रीमती पूनम रानी वर्मा पुत्र श्री मूपाराम 2. श्री राजेश मित्तल पुत्र श्री तरसेम चन्द 3. श्री चरणदास गर्ग पुत्र श्री कोरचन्द 4. श्री गगन मिढा पुत्र श्री पूरण मिढा		
8	जैतारण	1. श्री दिनेश कुमार रूणेचा 2. श्री विजेन्द्र जांगिड 3. श्री दिनेश कुमार सिसोदिया 4. श्री नैनाराम माटी		
9	चाकसू	1. श्री सुरेश कुमार सेनी पुत्र कन्हैया 2. श्री कमल कान्त पुत्र बजरंग लाल 3. श्री शंकरलाल जांगिड पुत्र श्री नाथूलाल 4. श्री मेहराज खां पुत्र हुसैन खां		
10	लाडनू	1. नारायण सिंह चौहान पुत्र भंवरसिंह 2. मुरलीधर सोनी पुत्र नवरंग लाल 3. टोडरमल प्रजापत पुत्र गणेशमल 4. ताजुखां पुत्र करीम खां मोयत		

D:\DLB\Kumawat ji\adisuchana.doc

पवन अरोड़ा
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक: प.8(ड)()विधि/मनो./डीएलबी/16/ 2460 - 2530 दिनांक: 3/1/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, सरकार, जयपुर।
02. उप सचिव(ए.एस.), मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान सरकार जयपुर।
03. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
05. जिला कलेक्टर, झुझुनुं, बीकानेर, कोटा, हनुमानगढ़, पाली, जयपुर, नागौर, उदयपुर, भरतपुर, चूरू, चित्तौड़गढ़, जालोर, टोंक।
06. संबंधित समस्त उपखण्ड अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि मनोनीत सदस्यों को एक माह में नियमानुसार शपथ दिलाने की कार्यवाही करे।
07. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6 (क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ कृपया 20 प्रति भिजवाने का श्रम करे।
08. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राज0 जयपुर।
09. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर।
10. सम्बंधित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका सूरजगढ़/नोखा/रामगंजमण्डी/हनुमानगढ़/रावतसर/पीलीबंगा/संगरिया/जैतारण/चाकसू/लाडनू/सलुम्बर/भुसावर/रतनगढ़/राजलदेसर/छापर/चित्तौड़गढ़/बेगूं/रावतभाटा/बग्गड/देवली/उनियारा को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को अपने स्तर पर सूचित करते हुए उपखण्ड अधिकारी से एक माह में शपथ दिलवाने की कार्यवाही करे।
11. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय।
12. प्रभारी, मोनेटरिंग सैल, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी